तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

सैशन प्रकरण सं. 27/2017

राज.राज्य बनाम बबलु उर्फ सुरेन्द्र वगैरह

21.04.2026

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अपर लोक अभियोजक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआर.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है जिस पर बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत है। प्रकरण में एफएसल रिपोर्ट जारी करने वाले साक्षी श्री के.एन.वशिष्ठ का नाम साक्ष्य सूची में दर्ज किया जाना सहवन से रह गया है। अतः साक्षी के.एन.वशिष्ठ का नाम साक्ष्य सूची में दर्ज किया जाकर साक्षी को साक्ष्य हेतु तलब करने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस व प्रार्थना पत्र के जवाब में यह निवदेन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में चार्जशीट के साथ संलग्न सूची गवाहान में अंतिम गवाह पी.डब्ल्यू.22 डॉ. भजनलाल के बयान दिनांक 16.04.2026 को आलेखित किये जा चुके है और सूची गवाहान के अनुसार अभियोजन की साख्य समाप्त हो चुकी है और सूची गवाहान के अनुसार किसी गवाह के बयान शेष नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा चालान दिनांक 05.07.2017 को पेश किया जा चुका है और एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 22.01.2018 की है इससे भी लगभग 8 साल अभियोजन साख्य में व्यतीत हो चुके है। लम्बी अवधि तक सहायक निदेशक के बयान कराने हेतु अभियोजन द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है और ना ही प्रार्थना पत्र में 8 वर्ष के विलम्ब का कोई उचित कारण दर्शाया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान ने बहस में अपने अभिवचनों को दौहराया।

पक्षकारान के तर्कों के संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर लम्बित है तथा एफएसएल रिपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज है एवं उक्त संदर्भ में गवाही कराने से मुलजिम का कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। मुलजिम को साक्षी से जिरह का अवसर भी प्राप्त होगा। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित में अभियोजन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 सीआरपीसी स्वीकार किया जाता है। साक्षी के.एन.वशिष्ठ को साक्ष्य हेतु जरिये जमानती वारन्ट 2000/- रूपए से तलब किये जाने का आदेश दिया जाता है। लिपिक साक्ष्य सूची में गवाह का नाम जोडे। गवाह का वी.सी. स्लोट

	बुक किया गया। गवाह पी.डब्ल्यू.23 डॉ.के.एन.वशिष्ट के बयान लेखबद्ध जरिये वीसी लिए गए। पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम दिनांक 30.04.2026 को पेश हो। अपर सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी, जिला कोटा	

Scanned with OKEN Scanner